


22.05.2025:—पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गइ। । प्रार्थी द्वारा अपना मूल वादपत्र विद्रा कर लिया गया है। मूल वाद पत्र विद्रा होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

